न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 28/2023(पुरानी–01/2009)
प्रविष्टि दिनांकः– 18.10.2023(पुरानी–04.03.2009)
निर्णय दिनांक :– 07.08.2024

1.बन्नालाल पुत्र श्री गोकल जाति गुर्जर निवासी लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री दुर्गालाल पुत्र श्री मदन जाति दरोगा निवासी लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी दोराने विचारण फोतशुदा बजाय उसके वारिसानः–

1/1. श्रीमति प्रेम पत्नि स्व० श्री दुर्गालाल
1/2. राजू पुत्र स्व० श्री दुर्गालाल
वारिसान स्वर्गीय श्री दुर्गालाल दरोगा जाति दरोगा निवासी लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान

2. प्रहलाद पुत्र मदन जाति दरोगा

3. कमला पुत्र मदन जाति दरोगा

3/1. श्योराज पुत्र स्व० श्रीमति कमला
3/2. हेमराज पुत्र स्व० श्रीमति कमला
3/3. आशा पुत्री स्व० श्रीमति कमला
3/4. रतनी पुत्री स्व० श्रीमति कमला
वारिसान स्वर्गीय श्रीमति कमला देवी दरोगा समस्त जाति दरोगा निवासीगण लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

4. तहसीलदार टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

–रेस्पोडेण्ट

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आंवटन नियम (कृषि प्रयोजनार्थ) 1970

उपस्थित :
1. श्री अशोक कुमार पालीवाल, श्री मुकेश कुमार गुर्जर अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. हेमराज कानावत अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

::–निर्णय–::

दिनांक 07.08.2024

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम (14)4 भू आवंटन नियम 1970 पेश कर निवेदन किया कि यहकि साबिक आराजी खसरा नं 244 रकबा 10:0 बीघा वर्तमान ख0 नं0 551 रकबा 0.49 है0, 553 रकबा 0.29 है0, 554 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी में स्थित है।

2.यहकि गणेश पुत्र नारायण दरोगा ने गलत तथ्य रख कर एक आवेदन आंवटन सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 06.07.1966 ई0 को पेश किया जिस पर गणेश के आवेदन पर दिनांक 06.07.1966 ई0 को खसरा नम्बर 244 रकबा 10:0 बीघा का आवंटन किया।

3.यहकि गणेश काश्त का काम नही करता था कृषक नही था उसने सम्पूर्ण तथ्य आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष गलत रखे सही तथ्यो को छिपाया ओर कपट पुर्वक गलत जानकारी देकर अपने हक में आंवटन आदेश प्राप्त किया। गणेश ने आंवटन के बाद कभी भी इस जमीन को काश्त नही किया। गणेश के हक में केवल कागजी आवंटन हुआ। गणेश की मृत्यु हो गयी है। उसका लडका मदन था। उसकी भी मृत्यू हो गयी है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 मदन के वारिस है। जो गणेश के पौत्र है इसलिये उन्हें पक्षकार बनाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वर्तमान जमाबन्दी में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है।

4.यहकि दिनांक 06.07.1966 ई0 से पूर्व से इस आराजी पर प्रार्थी व उसके पूर्वजों का कब्जा था एवं वर्तमान में भी प्रार्थी का कब्जा है। वर्तमान खसरा नं0 551, 553, 554, के चारों तरफ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है एवं मौके पर उक्त आराजी प्रार्थी की दीगर खातेदारी में मिली हुयी है खेत भी इसी अनुसार मौके पर बने हुए है खसरा नं0 551, 533, 554, का जो रकबा जमाबन्दी में अंकित है उस अनुरूप मौके पर कोई भी खेत बना हुआ नही है बल्कि प्राथी की जो स्वयं की खातेदारी की भूमि है उस आराजी में उक्त आराजियात सम्मिलित है और उसी अनुसार खेत बने हुए है प्रारम्भ से ही इस आराजी पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है अप्रार्थीगण व उनके उनके पिता मदन व दादा गणेश ने कभी भी जमीन को काश्त नही किया।

5. यहकि अप्रार्थीगण व उसके पिता मदन एवं दादा गणेश ने भू आंवटन नियमों की पालना नही की है। आंवटन के बाद अलाटी को दो वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण जमीन को काश्त करना आवश्यक है परन्तु गणेश ने कभी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। रूटिन में उसके हक में गैर खातेदारी का नामान्तकरण भर गया व बाद में इसी क्रम में खातेदारी लग गयी अब अप्रार्थीगण इस गलत इन्दाज के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। प्रार्थी का कब्जा है प्रार्थी पीड़ित पक्ष है इसलिये प्रार्थी ने यह आवेदन पेश किया है।

6. अतः प्रार्थना पत्र तहत नियम 14(4) में भू आंवटन नियम पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1966 बाबत साबिक ख0नं0 244 वर्तमान ख0 नं0 551, 553, व 554 वाके ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह निरस्त फरमाया जावे।

7. हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी।

8. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया अप्रार्थीगण के दादा स्व0 गणेश काश्त का काम नही करता था कृषक नही था उसने सम्पूर्ण

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

तथ्य आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष गलत रखे सही तथ्यो को छिपाया ओर कपट पूर्वक गलत जानकारी देकर अपने हक में आंवटन कराया है। गणेश ने आंवटन के बाद कभी भी इस जमीन को काश्त नही किया। गणेश के हक में केवल कागजी आवंटन हुआ। गणेश की मृत्यु हो गयी है। उसका लडका मदन था। उसकी भी मृत्यू हो गयी है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 मदन के वारिस है।

9. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि दिनांक 06.07.1966 ई0 से पूर्व से इस आराजी पर प्रार्थी व उसके पूर्वजों का कब्जा था एवं वर्तमान में भी प्रार्थी का कब्जा है। वर्तमान खसरा नं0 551, 553, 554, के चारों तरफ प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है एवं मौके पर उक्त आराजी प्रार्थी की दीगर खातेदारी में मिली हुयी है खेत भी इसी अनुसार मौके पर बने हुए है खसरा नं0 551, 533, 554, का जो रकबा जमाबन्दी में अंकित है उस अनुरूप मौके पर कोई भी खेत बना हुआ नही है बल्कि प्राथी की जो स्वयं की खातेदारी की भूमि है उस आराजी में उक्त आराजियात सम्मिलित है और उसी अनुसार खेत बने हुए है प्रारम्भ से ही इस आराजी पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है अप्रार्थीगण व उनके उनके पिता मदन व दादा गणेश ने कभी भी जमीन को काश्त नही किया।

10. आगे बहस में अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा कहा कि अप्रार्थीगण व उसके पिता मदन एवं दादा गणेश ने भू आंवटन नियमों की पालना नही की है। आंवटन के बाद अलाटी को दो वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण जमीन को काश्त करना आवश्यक है परन्तु गणेश ने कभी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया। रूटिन में उसके हक में गैर खातेदारी का नामान्तकरण भर गया व बाद में इसी क्रम में खातेदारी लग गयी अब अप्रार्थीगण इस गलत इन्दाज के आधार पर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। अतः प्रार्थना पत्र तहत नियम 14(4) में भू आंवटन नियम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1966 बाबत साबिक ख0नं0 244 वर्तमान ख0 नं0 551, 553, व 554 वाके ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह निरस्त फरमाया जावे।

11.अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा जवाब पेश ना कर सीधे बहस प्रस्तुत की। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को जो आवंटन भूमि का हुआ है वह सही है तथा प्रार्थी का आवंटन के समय से ही आज तक कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी के पूर्वजों को वर्ष 1966 में तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा यह प्रार्थना पत्र लगभग 42 साल बाद पेश किया है। जो कि केवल प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से पेश किया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

12.हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

13.पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। आवंटन पत्रावली सं0 1030/1966 के अवलोकन से जाहिर आया कि दिनांक 06.07.1966 को आवंटन नियमावली राजस्थान (कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटन) नियम 1957 के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा प्रार्थी गणेश पुत्र नारायण दरोगा को खसरा नं0 244 10:00 बीघा ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह में भूमि आवंटन किया गया। आवंटित आराजी के हाल नं0 खसरा नं0 551 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 553 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 554 रकबा 0.61 है0 बने है। अपीलाण्ट

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

फर्द अहकाम

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, केकड़ी(राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश धाकड(आर.ए.एस.)
मु.नं. –28 / 2023
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आंवटन नियम 1970
उनवान– बन्नालाल बनाम दुर्गालाल वगै

द्वारा आवंटित भूमि पर स्वयं के कब्जा काश्त संबंधी कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। इसके साथ अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील के तथ्यों को साबित किये जाने बाबत् कोई भी ऐसे दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जिससे रेस्पो0 को किया गया आवंटन निरस्त योग्य हो। अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् भी कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किये है कि गणेश द्वारा तथ्यों को छिपाकर छल–कपट पूर्वक कमेटी से आवंटन कराया हो। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

–:आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार पर पेश करने से अस्वीकार करते हुये खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार द्वारा प्रार्थी गणेश पुत्र नारायण दरोगा को खसरा नं0 244 10:00 बीघा (हाल नं0 खसरा नं0 551 रकबा 0.49 है0, ख0नं0 553 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 554 रकबा 0.61 है0) ग्राम लाम्बाखुर्द तहसील टोडारायसिंह में किया गया आवंटन यथावत बहाल रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी